BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 30 मार्च, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी को 04 वर्ष 26 दिवस का कारावास के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राजू पुत्र जौहरी निवासी ग्राम बझेडा थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी एक महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 22.01.2020 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 55/20 धारा 452,376,511 भादवि पजीकृत किया गया तथा दिनांक 19.02.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 30.03.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजू को 04 वर्ष 26 दिन का कारावास की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री केशव देव शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर ।